

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-58/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
यूको बैंक 461, पाल लिंक रोड़, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश सुथार		<ul style="list-style-type: none"><li>• मैसर्स कीर्ति हैल्थ केयर प्लॉट नम्बर 60, व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स ऐरिया, जोधपुर</li><li>• प्रो. रनेह लता परिहार प्लॉट नम्बर 63, सपनो का महल, व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स ऐरिया, जोधपुर</li><li>• जितेन्द्र पुत्र रतन लाल 95, हरिपुरा, व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स ऐरिया, जोधपुर</li></ul>

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-12.08.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स कीर्ति हैल्थ केयर व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 60,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जितेन्द्र पुत्र रतन लाल की जायदाद प्लॉट न. 95, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1560 वर्ग फीट एवं Hypothecated all kind of stock and book debts & related items whatsoever stored in premise  
वाणिज्यिक गोदामों (Use Godowns जिसके उत्तर में 21.7 फीट और पश्चिम में 9.9 फीट) का प्रार्थी



Signature valid

Digitally signed by Chandra Singh Rathod, DN: cn=Chandra Singh Rathod, o=Collector & District Prarthi, ou=Collector & District Prarthi, email=chandra.singh.rathod@raj.gov.in, c=IN  
Designation: Collector & District Prarthi  
Magistrate  
Date: 2025.08.12 14:20:19 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17134339

बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.04.2025 तक 45,85,512.91/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 60,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.04.2025 तक 45,85,512.91/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद जितेन्द्र पुत्र रतन लाल की जायदाद प्लॉट न. 95, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1560 वर्ग फीट एवं Hypothecated all kind of stock and book debts & related items whatsoever stored in premise warehouse/Godowns जिसके उत्तर में 21.7 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण में प्लॉट न. 96, पूर्व में प्लॉट न. 98 एवं पश्चिम में 9.9 फीट चौड़ा रोड आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यकतापूर्वक भेजा जायेगा हेतु प्रेषित की जाय।



आदेश दिनांक 12.08.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Garav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.08.12 14:20:19 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17134339

जोधपुर, राजस्थान